पत्रांक-10/व4-22/99मा०
बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग ।

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 ।

पटना, दिनांक- अगस्त, 05 ।

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 23-6-05 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोपरान्त इस शर्त के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष वेतन भुगतान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना होगा। विद्यालय का नाम निम्नवत् है।

(1) भागवत विद्यापीठ रूसी छावनी भगवान बाजार छपरा ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(हेमचन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

ज्ञापांक- 492 पटना, दिनांक- 6 अगस्त, 05 ।

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, छपरा/क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, सारण प्रमंडल, सारण/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम एकबार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है ।

(क) विद्यालय के द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है ।

— 2

:: 2 ::

~~विलम्ब किया जा रहा है~~ ।

(ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर ।

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा है ।

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरूद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न सोसाइटी के बीच कटुता पैदा हो ।

(च) सी०बी०एस०ई० मापदण्ड के अनुरूप भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदण्ड के अनुरूप विद्यालयों की संख्या निर्धारित नहीं किये जाने पर ।

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना